जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
नया विजलीघर, औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर - 342 003 फोन न० 0291-748137 : फैक्स नं० 741870

क्रमांक: जोधपुर डिस्कॉम/अनु-_____/पत्रा०_____/प्रे०सं० 732 जोधपुर,दिनांक 04/9/2001

परिपत्र

विषय:- वर्ष 2001-2002 में कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में ।

- - - - -

वर्ष 2001-2002 में कृषि कनेक्शन देने के लिये विद्युत निगमों की समन्वय समिति की बैठक दिनांक 01.06.2001 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1- सभी वितरण कम्पनियों के लिये इस वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कुल 15000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अत: अधीक्षण अभियन्ता(पवस) यह सुनिश्चित करें कि उनके वृत के लिये दिये गये कृषि कनेक्शनों के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कनेक्शन नहीं दिये जायें ।

2- अ. हरा-चारा के कृषि कनेक्शनों के लिये नये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जावें ,। इस सम्बन्ध में पूर्व में आदेश क्रमांक:जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा.4/प्रे-115 दिनांक 06.01.2001 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-15) जारी कर दिये गये हैं । लेकिन जो प्रार्थना-पत्र इस श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं तथा अभी तक उनके मांग-पत्र जारी नहीं किये गये हैं, उनमें से सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को इसी वर्ष में मांग-पत्र जारी कर लक्ष्यानुसार कनेक्शन देने हैं । हराचारा अन्तर्गत पूर्व में जारी किये गये जिन आवेदकों द्वारा मांग-पत्र की राशि अभी तक जमा नही कराई हैं उन्हें अब 30 दिवस के अन्दर-अन्दर मांग-पत्र की राशि जमा कराने तथा जमा नहीं होने पर आवेदन पत्र रद्द होने का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावें तथा उक्त समय में राशि जमा नही होने पर उनके आवेदन-पत्र रद्द कर दिये जावें ।

ब. वर्ष 2001-2002 में सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदनों की कट ऑफ डेट पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 पंचायत समितिवार कट ऑफ डेट ही रहेगी जिसका विवरण संलग्न है । परन्तु जिन आवेदकों के नाम पिछले वर्ष की कट ऑफ डेट में शामिल थे तथा किसी कारणवश डिमाण्ड नोट जारी नहीं हो सके हैं, उनमें से सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को इसी वर्ष में मांग-पत्र जारी करने हैं ।

3- राज्य के सभी अनुसूचित जाति के तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के जितने भी सामान्य श्रेणी कनेक्शन हेतु 31 मार्च 2001 तक प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष 2001-2002 में मांग-पत्र जारी करने हैं ।

4- सामुदायिक जलोत्थान योजना में जितने भी प्रार्थना-पत्र कनेक्शन लेने हेतु लम्बित हैं तथा इसी वित्तीय वर्ष में जो नये आवेदन प्राप्त होते हैं उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में ही लाईन की पूरी कीमत एवं ट्रांसफोरमेशन चार्जेज रुपये 1450/- प्रति हॉर्स पावर की दर से मांग-पत्र जमा होने पर एवं पूर्व में जिन आवेदकों ने मांग-पत्र की राशि जमा करादी हैं, उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन देने हैं ।

5- सामान्य एवं हरा-चारा श्रेणी के ऐसे आवेदकों को जिनके 11 के.वी. लाईन के वी.आर 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किये गये हैं तथा उनकी अगली प्राथमिकता के आवेदकों को मांग-पत्र जारी कर दिये हैं, ऐसे छूट गये आवेदकों के 11 के.वी. लाईन के वी.आर. सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 प्रतिशत से कम हो गये हैं तो उनके मांग-पत्र इसी वित्तीय वर्ष में जारी करने हैं तथा शेष आवेदकों के 11 के.वी. लाईन के जब भी वी.आर. 8 प्रतिशत से कम हो जावें, उनको मांग-पत्र तत्काल जारी कर दिये जावें ।

6- जिन आवेदकों ने कृषि कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि जमा कराके एल. फार्म (विद्युत फिटिंग करवाकर) प्रस्तुत कर दिये हैं, उनको माह का आधार मानते हुये प्राथमिकतानुसार कनेक्शन जारी किये जावें ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

04/9

अधीक्षण अभियन्ता(पी०पी०एण्ड एम०)